(134) (241)

निग०- 4219/2018/रीवा/भू-रा०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा (म.प्र.)

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

1- बृजकुमार पाण्डेय तनय पिता स्व. राधिका प्रसाद पाण्डेय

राघव विहारी पाण्डेय तनय स्व. राधिका प्रसाद पाण्डेय

3- मुस. दिलराजू बेवा राधिका प्रसाद पाण्डेय

4- केशव प्रसाद तनय कौशल प्रसाद पाण्डेय

5- रामनारायण तनय स्व. चन्द्रिका प्रसाद पाण्डेय

6- यज्ञनारायण तनय स्व. चन्द्रिका प्रसाद पाण्डेय

7- सूर्यनारायण तनय स्व. चन्द्रिका प्रसाद पाण्डेय

सभी निवासी ग्राम राजगढ तहसील सिरमौर जिला रीवा (म.प्र.)

..........निगरानीकर्तागण

बनाम

1- लल्लू बसोर तनय छोटे लाल बसोर

2- ददुल्ला बसोर पिता छोटे लाल बसोर

3- पप्पूलाल बसोर तनय लल्लूलाल बसोर

4- मुन्नालाल बसोर तनय लल्लू बसोर

सभी निवासी ग्राम राजगढ तहसील सिरमौर जिला रीवा (म.प्र.)

...........गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध जारी प्रमाण पत्र दिनांक 24.04.2018 श्रीमान् नायब तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा म.प्र. भूमि खसरा क्र. -945/1 स्थित ग्राम राजगढ तहसील सिरमौर जिला रीवा (म.प्र.) अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959ई.

मान्यवर,

निगरानी के संक्षेप में तथ्य निम्न हैं

1- यह कि निगरानीकर्तागण राजगढ तहसील सिरमौर जिला रीवा में स्थित भूमि खसरा क्र.-945/1 रकवा 0.142हे.

(134)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक निग04219 / 2018 / रीवा / भू—रा0 जिला—रीवा

बृजकुमार पाण्डेय / लल्लू बसोर

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक नक्शा तरमीम में पारित आदेश दिनांक 24.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	